



रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए नए बड़े चाय उत्पादकों को egiccs पोर्टल में रिकॉर्ड करने के लिए दिशानिर्देश

आवेदक (ओं) चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को नए बड़े चाय बागानों की स्थापना के संबंध में टी बोर्ड को सूचित करेंगे।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे बागान के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे उल्लिखित आवश्यक जानकारी जमा करने के लिए बोर्ड के ऑनलाइन egiccs पोर्टल यानी <http://egiccs.teaboard.gov.in/> के माध्यम से जाएं:

आवेदक से प्राप्त आवश्यक सूचना

1. कंपनी/फर्म/साझेदारी फर्म या प्रोपराइटरशिप फर्म आदि का नाम और पता।
2. चाय संपदा का नाम
3. निदेशकों/साझेदारों का विवरण (नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी)
4. चाय संपदा का पता
5. टी बोर्ड में दर्ज की जाने वाले संपदा का कुल भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)
6. चाय उगाया गया कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) ।
7. चाय बागान की स्थापना का वर्ष
8. egiccs पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क रु.5600/- (जीएसटी सहित) का भुगतान किया जाना है।
